सत्यमेव जयते

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
पोत परिवहन मंत्रालय/MINISTRY OF SHIPPING
नौवहन महानिदेशालय/DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING
"बिटा बिल्डिंग", 9 वी मंजिल/"BETA BUILDING", 9th FLOOR
आई-थिंक टेक्नो कैम्पस / I-THINK TECHNO CAMPUS
कांजुर गॉव रोड / KANJUR VILLAGE ROAD
कांजुर मार्ग (ईस्ट) / KANJUR MARG (EAST
मुंबई - 400 042/MUMBAI – 400 042

टेलीफोन: 022 – 25752040/1/2/3
फैक्स: 022 – 25752029 / 35
ई-मेल: dgship-dgs@nic.in
वेब: www.dgshipping.gov.in

Tele: 022 - 25752040/1/2/3
Fax: 022 – 25752029 / 35
E-mail: dgship-dgs@nic.in
Web: www.dgshipping.gov.in

वर्ष 2014 की वाणिज्यिक पोत परिवहन सूचना संख्या – 20

फा सं – 8-एनटी/(6)/2011 **दि.03.11.2014**

विषय – आयु में छूट की संस्वीकृति को समाप्त करने – संबंधी ।

1. नौवहन महानिदेशालय द्वारा भारतीय पोतों पर समुद्रगमन हेतु 65 वर्ष और इससे अधिक आयु के अधिकारियों के लिये आयु में छूट की संस्वीकृति संबंधी परिपत्र संख्या 8-एनटी(1)/2000 दिनांकित 12.08.2002 सहित परिपत्र/सूचनाएं जारी की गई थीं, अनुवर्ती रूप से परिपत्र संख्या 8-एनटी/(1)/2010 दिनांकित 21.01.2013 के माध्यम से यह कार्य समुद्री वाणिज्य विभागों के संबंधित प्रधान अधिकारियों को प्रत्याचोजित कर दिया गया था ।

2. एसटीसीडबल्यू कन्वेन्शन और समुद्रकर्मियों की नियोजनीयता पर समुद्रीय श्रम कन्वेशन के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय ध्वज जलयानों पर 65 वर्ष से अधिक आयु के अधिकारियों हेतु आयु में छूट प्राप्त करने की अपेक्षा है जिससे भारतीय पोतों पर अतिरिक्त अनुपालन का भार पड़ता है ।

3. इसलिये, निदेशालय में मामले की जांच की गई और यह निर्णय लिया गया कि भारतीय ध्वज जलयानों पर कार्य करने के इच्छुक अधिकारियों हेतु आयु में छूट की संस्वीकृति की प्रक्रिया बंद कर दी जाए. भारतीय पोत स्वामियों से फिर भी यह अपेक्षा है कि वे निम्नलिखित को सुनिश्चित करें

(ए) 65 वर्ष से अधिक आयु के चिकित्सीय रूप से योग्य अधिकारियों सहित नियोजित अधिकारी जिन्हें यथोपेक्षित रूप से विभिन्न ड्रिलों सहित पोत पर श्रमसाध्य कार्य करने होते हैं, वे इस योग्य हैं ।

(बी) पोत पर श्रमसाध्य कार्यों एवं जटिलताओं/जनशक्ति में कमी आदि को दृष्टिगत रखते हुए यह सलाह है कि पोत स्वामी जलयानों के निरंतर कुशल प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिये कि समय विशेष पर पोत पर 65 वर्ष से अधिक आयु के एक से अधिक को नियोजित करने पर विचार न करें ।

(सी) 65 वर्ष से अधिक आयु वालों सहित सभी समुद्रकर्मियों की चिकित्सीय योग्यता प्रमाणपत्रों सहित एमएलसी और एसटीसीडबल्यू कन्वेशनों के अंतर्गत अपेक्षित रिकॉर्डों को संबंधित कन्वेंशनों द्वारा यथापेक्षित रूप से निरंतर रखा जाएगा ।

4. इस मामले में पहले जारी किए गए सभी परिपत्र/सूचनाएं अधिक्रमित हो गई हैं ।

5. इसे नौवहन महानिदेशक एवं पदेन अपर सचिव भारत सरकार के अनुमोदन से जारी किया जाता है तथा यह नॉटिकल एवं इंजीनियरिंग के अधिकारियों सहित भारतीय समुद्रकर्मियों पर लागू हैं ।

(कप्तान एल. के पाण्डा)
नॉटिकल सलाहकार,
भारत सरकार